

## कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

### दिशा-निर्देश

कृपया सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना विकास, सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि०यो०) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-79/2019/1420/सैतीस-2-2019-1 (43)/02, दिनांक 03 जून, 2019 द्वारा विभिन्न मानक मदों में धनराशि रू०-275.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: 473/बजट/29(5)/अनु०-83/16/2019-20 दिनांक 7.6.2019 द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त धनराशि रू०-275.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये आवंटित धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें:-

- 1- शासनादेश दिनांक 03जून,2019 तथा वित्त नियंत्रक,पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांक 7.6.2019 द्वारा दिये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाय।
- 2- शासन के पत्र संख्या: 270/सैतीस-2-2019-33(5)/84टी.सी. दिनांक 23 मई 20019 (छाया प्रति संलग्न) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाय।
- 3- योजना में आवंटित धनराशि का व्यय योजना में उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा अधिक व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।
- 4- विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही दवाओं/उपकरणों/सामग्री एवं फर्नीचर आदि का क्रय किया जाय। अनुमोदित सूची के बाहर से क्रय करने हेतु गठित विषय विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 5- आवंटित धनराशि का व्यय योजना के निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही किया जाय।
- 6- योजना के मानक-मद 39 में आवंटित धनराशि का व्यय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही दवाओं/उपकरणों आदि का क्रय किया जाये। अनुमोदित सूची के बाहर से क्रय करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।
- 7- योजना के मानक मदों-40,42 एवं 43 में स्वीकृत धनराशि का व्यय जिला उद्योग केन्द्र अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों के माध्यम से ही क्रय करते हुये किया जायेगा।
- 8- फर्म का विगत वर्ष तक का आयकर रिटर्न जमा होना चाहिए।
- 9- व्यापार कर विभाग से विगत वर्ष का अदेयता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
- 10- किसी भी पंजीकृत फर्म के पास इन दोनों प्रमाण-पत्र न होने की दशा में क्रय आदेश कदापि न निर्गत किये जाय।
- 11- योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक ई-टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित नहीं किये जायेंगे।
- 12- मानक मद-43 सामग्री और सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि से प्रक्षेत्र पर ब्रीडिंग स्टाक पूर्ण करने हेतु पशुओं का क्रय एवं/अथवा राशन आदि का क्रय किया जायेगा तथा मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा उक्त मद में आवंटित धनराशि से जनपद में पशुचिकित्सालयों पर स्वीकृत सूकर सांड केन्द्रों/अंशदान वितरित करने हेतु पशुओं का क्रय एवं/अथवा राशन आदि का क्रय किया जायेगा। नर सूकर सांड क्रय करने हेतु अपनी मांग अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय।
- 13- प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध मादा सूकरों में "इनब्रीडिंग" से बचने हेतु अन्य प्रक्षेत्रों से नर सूकरों का क्रय किया जाय। जिससे इनब्रीडिंग से बचा जा सकें। यदि पैरेंट स्टाक में प्रजनन योग्य मादा न हो तो उनको अनुप्रयोगी कर विचयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। साथ ही उसके स्थान नया पैरेंट स्टाक (मादा) का क्रय किया जाय। जिसके लिये अपना मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

- 14- 29 अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्या:ए-2-1092/दस- 2011-24 (7)/95 दिनांक 25 नवम्बर,2011 के विवरण पत्र XVII के बिन्दु संख्या-17 में निहित प्रविधानों एवं निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जाय तथा अनुरक्षण में कराये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये उनका आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा उसकी एक प्रमाणित छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाली धनराशि को उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जाये। उपरोक्त दिये गये दिशा-निर्देशों के इतर व्यय करना अनियमितता होगी, योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

६०/-  
(डा0एस0के0श्रीवास्तव)  
निदेशक,  
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्या: 516 /प0-1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/2019-20 दिनांक: 17/06/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रक्षेत्र प्रबंधक/अधीक्षक/प्रभारी, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र (सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु) सैदपुर,ललितपुर/आराजी लाइन्स, वाराणसी /निबलेट बाराबंकी/नीलगांव सीतापुर।
- 2- परियोजना निदेशक, बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र,(सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु), नौगढ़ चन्दौली।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ़ (सम्भागीय सूकर प्रजनन केन्द्र,सी0डी0एफ0)
- 4- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हाथरस, एटा, कासगंज, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मेरठ, बागपत,गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र,कौशाम्बी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, हापुड, बदायूँ, रामपुर, इटावा, संतरविदासनगर,सम्भल।
- 5- उपनिदेशक(प्रक्षेत्र)पशुपालन विभाग,महानगर, लखनऊ।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक,ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली।
- 7- अनु सचिव, पशुधन अनुभाग-2,उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ।
- 8- श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त दिशा-निर्देशों को विभागीय, वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।

  
(डा0एस0के0श्रीवास्तव)  
निदेशक,  
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

423/46-1  
29/05/2019

संख्या-270/सैतीस-2-2019-33(5)/84टीसी

प्रेषक,

डॉ० सुधीर एम. बोबडे,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,  
पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-23 मई, 2019

विषय:- पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों हेतु क्रय नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-515/क.प्र.से./क्रय नीति-5/2018-19, दिनांक-08.01.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों हेतु क्रय नीति निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-343/सैतीस-2-2017-33(5)/84, दिनांक-10.03.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-1876/सैतीस-2-2018-33(5)/84टीसी, दिनांक-05.06.2018 तथा शासनादेश संख्या-3014/सैतीस-2-2018-33(5)/84टीसी, दिनांक-04.09.2018 में किये गये कतिपय संशोधनों के साथ उक्त नीति को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (दो वर्ष के लिए दर निर्धारण/अनुबन्ध) के लिए निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1. औषधि, वैक्सीन, उपकरण, मिनरल मिक्स्चर की पृथक-पृथक ई-निविदा आमंत्रित की जायेगी। इनके निविदा प्रपत्र, निविदादाता की पात्रता भी पृथक-पृथक निर्धारित की जायेगी।
2. औषधियों में से जो सामग्री जेम पोर्टल पर दर अनुबन्ध उपलब्ध होगी, उनको हटाते हुए निविदा पर पृथक-पृथक रूप से विचार किया जायेगा।
3. औषधियों हेतु भारत सरकार के उपक्रमों (सी.पी.एस.सी.) से सीधे अधिकतम 25 प्रतिशत क्रय किया जायेगा। शेष हेतु (जेम पोर्टल पर उपलब्ध औषधियों को हटाने के बाद व सी.पी.एस.सी. से क्रय करने के पश्चात् शेष को 25 प्रतिशत घटाने के बाद अवशेष) ई-निविदा आमंत्रित की जायेगी। सी.पी.एस.सी. से सीधे क्रय भारत सरकार के MANUAL FOR PROCUREMENT OF GOODS 2017 के प्राविधान 1.10.2 के क्रम में किया जायेगा।
4. इसी प्रकार (वैक्सीन, उपकरण, मिनरल मिक्स्चर में भी जो सामग्री जेम पोर्टल पर दर निर्धारण/अनुबन्ध पर उपलब्ध होगी को छोड़कर) अवशेष मात्रा हेतु ही ई-निविदा की जायेगी।
5. ई-निविदा मात्र 02 वर्ष हेतु (दर निर्धारण/अनुबन्ध) होगी।
6. ई-निविदादाताओं को गत् 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 05 करोड़ का टर्न ओवर रहेगा परन्तु एम.एस.एम.ई./एस.एस.आई. इकाईयों को टर्न ओवर से छूट प्रदान होगी।
7. (क) विगत 03 वर्षों में किसी भी एक कोटेड प्रोडक्ट (औषधि), जिसके लिए निविदा भरी जा रही है, भारत के न्यूनतम एक तिहाई राज्यों (अर्थात् न्यूनतम 08 राज्यों) में आपूर्ति करायी गयी हो, इस विषयक निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें:-

| क्र० | राज्य का | होल सेलर | वर्ष 2016-17 |         |       | वर्ष 2017-18 |         |       | वर्ष 2018-19 |         |       |
|------|----------|----------|--------------|---------|-------|--------------|---------|-------|--------------|---------|-------|
|      |          |          | इन्वायस      | इन्वायस | मूल्य | इन्वायस      | इन्वायस | मूल्य | इन्वायस      | इन्वायस | मूल्य |

उ निमांनदी 10/05/19  
निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र  
23.5.19

प्र अग्रमुद्रा  
23/5/19

सी राय  
24/05/19

रक्षु 05/05/19

सी राय  
25/5/19

सी राय  
25/5/19

|   | नाम | क्र<br>नाम | संख्या | क्र<br>दिनांक |   | संख्या | क्र<br>दिनांक |   | संख्या | क्र<br>दिनांक |    |
|---|-----|------------|--------|---------------|---|--------|---------------|---|--------|---------------|----|
| 1 | 2   | 3          | 4      | 5             | 6 | 7      | 8             | 9 | 10     | 11            | 12 |
|   |     |            |        |               |   |        |               |   |        |               |    |

(ख) उत्पादनकर्ता से होलसेलर/डिस्ट्रीब्यूटर हेतु इनवायस कापी एक ही हो।

3- उक्त के अतिरिक्त एफ.एम.डी. वैक्सीन, एच.एस. वैक्सीन व अन्य वैक्सीन तथा पशु आरोग्य मेलों के लिए औषधियों, वैक्सीन एवं मिनरल मिक्स्चर को ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा दिनांक-30.06.2019 (जो भी पूर्व में हो) तक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के वैध एवं पात्र आपूर्तिकर्ताओं से ही वर्ष 2018-19 की दरों पर ही, कार्यहित व जनहित में कय किया जाये।

4- विभाग की अन्य योजनाओं में भी उक्त प्रक्रिया को लागू किया जाये।

5- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक-10.03.2017, 05.06.2018 एवं 04.09.2018 में शेष उपबन्ध/शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(डॉ० सुधीर एम. बोबडे)

प्रमुख सचिव।

**पु०सं०-270(1)/सैतीस-2-2019- तद्विनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
3. अपर निदेशक ग्रेड-1, बी.पी. संस्थान, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर निदेशक ग्रेड-1 (गोधन विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, उ०प्र०प० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
8. प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ०प्र०प० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
9. मुख्य इंग कन्ट्रोलर, उ०प्र०, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
12. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
13. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

*P. N. P.*

(डॉ० प्रहलाद बरनवाल)

अनु सचिव।